न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्रीमती सायर कुंवर पुत्री श्री भोपाल सिंह पत्नी श्री मोडसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्रीमती कंकर कुंवर पुत्री श्री भोपालसिंह पत्नी श्री केसरसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 31/2021

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति।

1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)

-: निर्णय :- दिनांक 19 जुलाई, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम इदरला, तहसील- रेवदर के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर के पत्र क्रमांक:रीडर/2021/459 दिनांक 09.3.2021 से अपील का जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री केरसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही की अपीलार्थीगण जायन्दा पुत्रियां है एवं अपीलार्थीगण के अलावा भोपालसिंह जी के दो पुत्र विजयसिंह व अर्जुनसिंह थे तथा विजयसिंह व अर्जुनसिंह की मृत्यु हो चुकी है। भोपालसिंह जी पुत्र केरसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला के पेढी पत्रक के अनुसार भोपालसिंह के दो पुत्र विजयसिंह व अर्जुनसिंह एवं दो पुत्रियां सायर कुंवर व कंकर कुंवर है। विजयसिंह दिनांक 01.4.1976 को नाऔलाद फौत हो गया था एवं अर्जुनसिंह दिनांक 20.4.1995 को नाऔलाद फौत हो गया था। ग्राम इदरला, पटवार हल्का नागाणी, तहसील- रेवदर के राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 12 खसरा संख्या

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

695/1014 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि विजयसिंह पुत्र भोपालसिंह के नाम से राजस्व [illegible] हो गई थी तथा मृत्यु के समय विजयसिंह अविवाहित थे, इस कारण उनकी मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि के उत्तराधिकारी अपीलार्थीगण एवं अर्जुनसिंह थे। विजयसिंह के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 को प्रत्यर्थी द्वारा अर्जुनसिंह के नाम से स्वीकृत किया गया, परन्तु प्रत्यर्थी ने नामान्तरकरण में अर्जुनसिंह पुत्र भोपालसिंह के स्थान पर नामान्तरकरण में अर्जुनसिंह पुत्र विजयसिंह नाम अंकन कर दिया, जो सहवन से गलत दर्ज हो गया है, जबकि अर्जुनसिंह व विजयसिंह पिता पुत्र नही होकर भाई थे। यह कि अर्जुनसिंह की मृत्यु भी दिनांक 20.4.1995 को हो चुकी है एवं मृत्यु के समय अर्जुनसिंह अविवाहित थे, इस प्रकार अर्जुनसिंह के वारिसान में अर्जुनसिंह की सगी बहन अपीलार्थी सायर कुंवर व कंकर कुंवर ही जीवित है, इसलिये उक्त सम्पत्ति अर्जुनसिंह की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण का [illegible] है। उक्त कृषि भूमि पर अर्जुनसिंह की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण बतौर मालिक काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रही व करवा रहे है। अपीलार्थीगण का विवाह जिला जालोर में होने से अपीलार्थीगण अपने ससुराल में ही निवासी करती रही है एवं इस कृषि भूमि को भोगवटे पर कृषि करवाकर उसका भोग प्राप्त करती रही है। अपीलार्थीगण अनपढ महिला होने से इन्हें इस कृषि भूमि के कागजात के संबंध में कभी आवश्यकता नही पडने से उन्हें कोई जानकारी प्राप्त नही की। विजयसिंह पुत्र भोपालसिंह की ग्राम इदरला में अन्य कृषि भूमियां आई हुई है जिसके खसरा संख्या 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 556 है, इन खसरों की कृषि भूमि का नामान्तरकरण विजयसिंह की मृत्यु के बाद अर्जुनसिंह पुत्र भोपालसिंह के नाम दर्ज हो गया एवं अर्जुनसिंह की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 588 दिनांक 05.6.2008 से अपीलार्थीगण का नाम दर्ज हो गया है, लेकिन खसरा संख्या 695/1014 की कृषि भूमि के नामान्तरकरण संख्या 244 में अर्जुनसिंह के पिता का नाम गलत दर्ज हो जाने से अर्जुनसिंह की मृत्यु के बाद खसरा संख्या 695 की भूमि का अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण नही हो सका, जबकि वर्तमान में अर्जुनसिंह के जीवित वारिसान में अपीलार्थीगण ही है। राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरकरण संख्या 244 में नाम गलत दर्ज करने से उक्त गलत नामान्तरकरण के बाद उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा होने के बाद भी उसका नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण नही हो सका। यह कि अपीलार्थी को वर्तमान में के.सी.सी. ऋण के लिये राजस्व रेकर्ड व कृषि भूमि की जमाबंदियों की आवश्यकता पडने पर संबंधित पटवारी से सम्पर्क किया तब अपीलार्थीगण को जानकारी हुई कि खसरा संख्या 695/1014 का नामान्तरकरण पूर्व में गलत दर्ज हो जाने से अर्जुनसिंह की मृत्यु के बाद इस भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में नही हुआ एवं शेष भूमि का नामान्तरकरण संख्या 588 अपीलार्थी के पक्ष में दायर होकर स्वीकृत हो गया है। अपीलार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 13.1.2021 को इस गलत नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा क[illegible] अपीलार्थीगण की अपील को

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के पक्ष में खसरा संख्या 695/1014 की भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जावे। जबकि पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम इदरला के खसरा संख्या 695/1014 के खातेदार विजयसिंह पुत्र भोपालसिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 को अर्जुनसिंह पुत्र विजयसिंह के पक्ष में दायर होकर स्वीकृत हुआ है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम इदरला, वर्तमान पटवार हल्का नागाणी के खसरा संख्या 695/1014 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि के खातेदार विजयसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी, गुलाबगंज द्वारा अर्जुनसिंह पुत्र विजयसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 244 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 28.4.1976 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम इदरला के स्वीकृत नामान्तरकण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रत्यर्थी के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 01.2.2021 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 को निरस्त कराने हेतु यह अपील प्रत्यर्थी के विरुद्ध विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है, जिसमें अपील पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में यह कारण बताया है कि "विजयसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला की मृत्यु दिनांक 01.4.1976 को हो जाने के बाद दर्ज नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 में अर्जुनसिंह पुत्र भोपालतिसंह के स्थान पर अर्जुनसिंह पुत्र विजयसिंह नाम गलत दर्ज हो जाने से खसरा संख्या 695/1014 की कृषि भूमि का अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दायर नही हो सका, जबकि ग्राम इदरला के अन्य खसरा संख्या 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 556 की कृषि भूमि का नामान्तरकरण विजयसिंह की मृत्यु के वाद अर्जुनसिंह पुत्र भोपालसिंह के नाम से दर्ज हो गया एवं अर्जुनसिंह की मृत्यु के बाद नामान्तरकण संख्या 588 दिनांक 05.6.2008 से अपीलार्थीगण का नाम दर्ज हो गया, इसलिये अपीलार्थीगण को यह अंदेशा था कि ग्राम इदरला में उनकी समस्त कृषि भूमि का नामान्तरकण उनके पक्ष में हो गया है, परन्तु खसरा संख्या 695/1014 की कृषि भूमि के नामान्तरकरण संख्या 244 में अर्जुनसिंह के पिता का नाम गलत दर्ज हो जाने से अर्जुनसिंह की मृत्यु के वाद उसका नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में नही हो सका, जबकि अर्जुनसिंह के जीवित वारिसान में अपीलार्थीगण ही है। अपीलार्थीगण को के.सी.सी. ऋण हेतु राजस्व रेकर्ड व कृषि भूमि के जमाबंदी की आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि खसरा संख्या 695/1014 की कृषि भूमि में पूर्व में नामान्तरकरण [illegible] अर्जुनसिंह की

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

मृत्यु के बाद इस खसरे की भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में नही हुआ एवं शेष भूमि का नामान्तरकरण संख्या 588 अपीलार्थीगण के पक्ष में दायर होकर स्वीकृत हो गया था। जिस पर अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण संख्या 244 की प्रमाणित प्रति दिनांक 13.1.2021 को तथा नामान्तरकरण संख्या 588 की प्रमाणित प्रति दिनांक 15.1.2021 व खसरा संख्या 695/1014 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति दिनांक 15.1.2021 को प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है। अपीलार्थीगण अनपढ़ महिलायें होने से उन्हें कानूनी कार्यवाही की जानकारी नही होने व अन्य खसरा नंबरों का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में होने से मात्र विश्वास के कारण देरी हुई है।''

अपीलार्थीगण ने धारा 5 के उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी सायर कुंवर का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रत्यर्थी की ओर से धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का न तो जवाब प्रस्तुत हुआ है एवं न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना प्रतीत होता है। अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 को निरस्त कराने हेतु यह अपील इस न्यायालय में जानकारी तिथि से अन्दर मियाद 30 दिन में प्रस्तुत की है। विधिक दृष्टान्त आर.आर.सी. 1999 पेज 11 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ''मियाद अवधि जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होती है न कि आदेश की तारीख से।'' ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन करते हुए इस अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जा रहा है।

अपीलार्थीगण का मुख्यत: कथन यह है कि ''श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री केरसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही की अपीलार्थीगण जायन्दा पुत्रियां है एवं अपीलार्थीगण के अलावा भोपालसिंह जी के दो पुत्र विजयसिंह व अर्जुनसिंह थे तथा विजयसिंह व अर्जुनसिंह की मृत्यु हो चुकी है। विजयसिंह दिनांक 01.4.1976 को नाऔलाद फौत हो गया था एवं अर्जुनसिंह दिनांक 20.4.1995 को नाऔलाद फौत हो गया था। ग्राम इदरला, पटवार हल्का नागाणी, तहसील- रेवदर के राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 12 खसरा संख्या 695/1014 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि विजयसिंह पुत्र भोपालसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी एवं दिनांक 01.4.976 को विजयसिंह की मृत्यु हो गई थी एवं मृत्यु के समय विजयसिंह अविवाहित थे, इस कारण उनकी मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि के उत्तराधिकारी अपीलार्थी एवं अर्जुनसिंह थे। विजयसिंह के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 को प्रत्यर्थी द्वारा अर्जुनसिंह के नाम से स्वीकृत किया गया, परन्तु प्रत्यर्थी ने नामान्तरकरण में [illegible] के स्थान पर अर्जुनसिंह पुत्र विजयसिंह नाम अंकन कर दिया, जो सहवन [illegible] दर्ज हो गया है, जबकि

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:41 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

अर्जुनसिंह व विजयसिंह पिता पुत्र नही होकर भाई थे। अर्जुनसिंह की मृत्यु भी दिनांक 20.4.1995 को हो चुकी है एवं मृत्यु के समय अर्जुनसिंह अविवाहित थे, इस प्रकार अर्जुनसिंह के वारिसान में अर्जुनसिंह की सगी बहन अपीलार्थी सायर कुंवर व कंकर कुंवर ही जीवित है। इसलिये उक्त सम्पत्ति अर्जुनसिंह की मृत्यु के बाद अपीलार्थी की हक अधिकार की सम्पति है।''

प्रकरण में अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम इदरला, पटवार हल्का नागाणी के खसरा संख्या 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 556 की कृषि भूमि में खातेदार अर्जुनसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला के दर्ज हक हिस्से की कृषि भूमि का खातेदार अर्जुनसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के नामान्तरकरण संख्या 588 दिनांक 05.6.2008 के द्वारा अर्जुनसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला के हक हिस्से की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी सायरबाई, कंकरबाई पुत्रीयां भोपालसिंह के नाम से दर्ज हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खसरा संख्या 695/1014 रकबा 10 बीघा भूमि के खातेदार विजयसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 695/1014 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि अर्जुनसिंह पुत्र विजयसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- इदरला के नाम से दर्ज हुई है। अपीलार्थीगण का कथन यह है कि नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 में अर्जुनसिंह पुत्र भोपालसिंह के स्थान पर अर्जुनसिंह पुत्र विजयसिंह नाम गलत रुप से अंकित हो गया है, जबकि अर्जुनसिंह विजयसिंह का पुत्र नही होकर भाई है।

प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर के पत्र क्रमांक:रीडर/2021/459 दिनांक 09.3.2021 से प्रस्तुत जवाब के बिन्दु संख्या 6 में यह उल्लेख किया है कि ''अर्जुनसिंह के पिता का नाम भोपालसिंह है। अर्जुनसिंह व विजयसिंह पि0 भोपालसिंह दोनों भाई थे, परन्तु ना.क.सं. 244 में सहवन से अर्जुनसिंह पि0 विजयसिंह हुआ है।''

अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम इदरला, वर्तमान पटवार हल्का नागाणी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह यह जांच करे कि ग्राम इदरला, पटवार हल्का नागाणी के खसरा संख्या 695/1014 रकबा 10 बीघा भूमि के मृतक खातेदार विजयसिंह पुत्र भोपालसिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 28.4.1976 में अर्जुनसिंह का नाम अर्जुनसिंह पुत्र भोपालसिंह के स्थान पर अर्जुनसिंह पुत्र विजयसिंह सहवन से गलत दर्ज हुआ है अथवा नही? तथा विजयसिंह व अर्जुनसिंह दोनों भाई थे अथवा पिता-पुत्र थे? तत्पश्चात् अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

19/7/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:41 IST
Reason: SelfAttested